न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 06/2018

दायर दिनांक : 03.04.2018

आदेश दिनांक : 18.07.2019

1. जैन एन्टर प्राईजेज, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द भागीदार फर्म जरिये भागीदार
1/1 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी दिलीप जैन
1/2 श्रीमती कंचन देवी पत्नी गणपत लाल कोठारी
1/3 श्रीमती झंकार देवी पत्नी फतह लाल जैन
1/4 श्रीमती देवकी पत्नी जयन्त कुमार सनाढ्य
सभी निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर उदयपुर
3 राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार नाथद्वारा

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थित

1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 17.04.2013 को अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में पारित एवार्ड राजस्व ग्राम नाथद्वारा में स्थित आराजी नम्बर 1208 व 1209 की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में चुनौती दी गई है ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा नियमानुसार तत्समय राजस्व रेकार्ड में दर्ज कृषि भूमि होने से प्रचलित डीएलसी. दर से मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से मुआवजा चाहता है जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी को भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा की कार्यवाही विचाराधीन हैं। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी द्वारा उक्त एवार्ड अभिवृद्धि के लिये प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुआवजा राशि प्रार्थी को डीएलसी दर अनुसार भुगतान नहीं की गयी है तथा उक्त भूमि प्रार्थी की वाणिज्यिक उपयोग की होते हुए भी प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर से भुगतान जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की है तथा दिनांक 19.06.2013 को इस संबंध में आपत्ति एवं मय दस्तावेज के प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड दिनांक 30.09.2009 को 40,00000/–रू0 मे क्रय किया है तथा मौके पर काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है। लेकिन प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अदा नहीं किया गया है मुआवजा केवल कृषि की दर से उक्त आराजी का तय किया गया है। जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं साथ ही यह भी निवेदन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उक्त मामले में दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिये जाने के निर्देश/आदेश इसी से लगी हुई भूमि के संबंध में प्रदान किये गये हैं लेकिन प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भुगतान नहीं की गयी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को डीएलसी दर पर ही भूमि का मुआवजा अदा किया गया है तथा प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के समय जो किस्म रेकर्ड में दर्ज थी,उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थी ने कोई आपत्ति एवं क्लेम आवेदन मुआवजा के संबंध में पेश नहीं किया है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। मुआवजा का निर्धारण विधिनुसार सही किया गया है। गणना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रार्थी की याचिका आधारहीन है अतः खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवार्ड पत्रावली से यह प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अवार्ड उक्त भूमि का कृषि दर से खातेदार के नाम पर जारी किया गया है जो खतोदार छगनबाई पत्नी वक्तावरमल, मोहनलाल पिता वक्तावरमल, मंजुला पत्नि मोहनलाल, रमेश कुमार, रवी कुमार पिता मोहनलाल वगैराह के नाम पर आराजी नं0 1208 व 1209 का क्रमश 6,23,873/–रूपये एवं 5,01,082/–रूपये जारी किया गया है। जबकि आराजी नं0 1208 व 1209 भूमि के खातेदारान ने उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से पत्रावली संख्या 59/1992 दिनांक 08.01.1993 को आवासीय रूपान्तरण का पट्टा जारी कर रखा है। उक्त पट्टेशुदा भूमि को पट्टाधारी द्वारा प्रार्थीगण जैन एन्टरप्राइजेज नाथद्वारा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 30.09.2009 से पट्टेशुदा भूमि मे से 2409 वर्गफीट भूमि विक्रय की गयी है। अवाप्ति के संबंध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2013 को क्लेम भी सक्षम अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से कही भी यह प्रमाणित नहीं है कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि का भुगतान प्रार्थी को किया गया हों। पत्रावली से यह भी प्रकट है कि आराजी नं0 1208 व 1209 मे से प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि मे से कितनी भूमि अवाप्त हुई है यह भी स्पष्ट नहीं है। जबकि विपक्षी द्वारा अपनी जवाबदेही मे नियमानुसार अवार्ड जारी करना उल्लेख किया गया है। जबकि पत्रावली से यह प्रमाणित है कि उक्त मामले में प्रार्थी के पक्ष में कोई अवार्ड आदेश पारित ही नहीं हुआ है। उक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी/अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अवाप्तशुदा भूमि मे से प्रार्थी की भूमि की वास्तविक

M

जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अवाप्तशुदा भूमि का निर्धारण करते हुए नियमानुसार अवार्ड भुगतान की कार्यवाही सम्पादित करें।

आदेश की एक प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक 18.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद